निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

पत्रांक C-387/बा0वि0परि0/योजना-01/2016-17, दिनांक : 17 मई, 2016

समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी/प्रभारी,
उत्तर प्रदेश।

विषयः आंगनवाड़ी केन्द्रों पर लाभार्थियों को अनुपूरक पोषाहार का वितरण।

जैसा कि आप अवगत है कि निदेशालय पत्र संख्या सी-1330/बा0वि0परि0/योजना/2015-16, दिनांक 01 दिसम्बर, 2015 द्वारा निर्देशित किया गया था कि आई0सी0डी0एस0 कार्यक्रम के अन्तर्गत 06 माह से 03 वर्ष आयु के बच्चों तथा गर्भवती/धात्री महिलाओं को टेक होम राशन के रूप में आंगनबाड़ी केन्द्रों पर अनुपूरक पोषाहार के वितरण की 05, 15 एवं 25 तारीख नियत की गयी है और यदि किसी नियत तिथि पर रविवार अथवा सार्वजनिक अवकाश पड़ता है, तो पोषाहार का वितरण आगामी कार्य दिवस पर किया जायेगा।

इसी क्रम में शासन स्तर पर यह निर्णय लिया गया है कि ग्राम/शहरी स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस (V.H.N.D.) पर भी पोषाहार का वितरण किया जायेगा। इस प्रकार नियत तिथि 05, 15 एवं 25 में से जिस तिथि के निकट ग्राम/शहरी स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस मनाया जायेगा, तो वितरण उस नियत तिथि को न करके ग्राम/शहरी स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस (V.H.N.D.) को किया जायेगा तथा 02 अन्य तिथियों में पूर्ववत् वितरण किया जायेगा।

06 माह से 03 वर्ष आयु के बच्चों हेतु :- इस आयु वर्ग के लाभार्थी बच्चों को प्रतिदिन 120 ग्राम की दर से माह में (25 दिन हेतु) 03 पैकेट (प्रति पैकेट 01 किग्रा0) दिये जाते हैं। इस प्रकार तीनो तिथियों पर एक-एक पैकेट टेक होम राशन के रूप में दिया जायेगा।

गर्भवती/धात्री महिलाओं हेतु :- गर्भवती/धात्री महिलाओं को 140 ग्राम प्रति लाभार्थी की दर से अनुपूरक पोषाहार उपलब्ध कराया जाता है जिसके अनुसार 02 माह में 07 पैकेट देय होता है। अतएव एक माह की तीनों नियत तिथियों को एक-एक पैकेट दिया जायेगा और अवशेष एक पैकेट दूसरे माह की 25 तारीख को अतिरिक्त उपलब्ध कराया जायेगा। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2016-17 में माह-मई, जुलाई, सितम्बर, नवम्बर, जनवरी एवं मार्च की 25 तारीख को एक पैकेट के स्थान पर दो पैकेट अनुपूरक पुष्टाहार उपलब्ध कराया जायेगा।

किशोरी बालिकाओं हेतु (सबला योजना) :- सबला योजना के अन्तर्गत 22 जनपदों में भी किशोरी बालिकाओं को उक्त निर्धारित तिथियों पर ही अनुपूरक पुष्टाहार का वितरण किया जायेगा।

यहां उल्लेख करना है कि निदेशालय के अधिकारियों द्वारा जनपद निरीक्षण के दौरान यह जानकारी प्राप्त हुई है कि कई जनपदों में इसका समुचित अनुपालन नही किया जा रहा है, जो आपत्तिजनक है।

अतएव आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त तिथियों का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाये व सभी जन प्रतिनिधियों एवं ग्राम–प्रधानों को भी इससे अवगत कराया जाये तथा नियत तिथि को जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास परियोजना अधिकारी एवं सभी मुख्य सेविकायें आंगनबाड़ी केन्द्रों का निरीक्षण कर इसका अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे और प्रत्येक माह निरीक्षण की सूचना निम्न निर्धारित प्रारूप पर Microsoft Excel पर CD एवं हार्ड कापी सहित आगामी माह की **05 तारीख** तक प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रारूप

जनपद का नाम :–

वितरण तिथि :–

क्र0 सं0	जनपद में कार्यरत कार्मिकों की कुल संख्या	निरीक्षण किये गये केन्द्रों की कुल संख्या	निरीक्षित आंगनवाड़ी केन्द्रों में कुल पंजीकृत लाभार्थियों की संख्या			निरीक्षित आंगनवाड़ी केन्द्रों में लाभार्थियों की संख्या, जिन्हें पोषाहार वितरित किया गया		
			06 माह से 03 वर्ष	गर्भवती /धात्री	सबला योजना के अन्तर्गत किशोरी बालिकाएं	06 माह से 03 वर्ष	गर्भवती /धात्री	सबला योजना के अन्तर्गत किशोरी बालिकाएं
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	जिला कार्यक्रम अधिकारी							
2	बाल विकास परियोजना अधिकारी							
3	मुख्य सेविका							
	योग :–							

(आनन्द कुमार सिंह)
निदेशक

पृष्ठांकन संख्या /**तददिनांक** :

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, बाल विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. महानिदेशक, राज्य पोषण मिशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(आनन्द कुमार सिंह)
निदेशक

C:\Users\...\Desktop\Hari babu letters-2016-17.doc